

FORM No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 13)

Jud/Civil
 Part 1-5

[General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91]

प्रज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : खानपुर जिला झालावाड़

गीताबाई बनाम बालचंद्र यादव

केस मुकदमा नं. 88-53-2019 सा.सं. नं. 876 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

दिनांक 24/6/19 वाद की हजे रजिस्टर किया जाकर 2 तिवादी पत्र की में सम्पन्न तलब किया जाये 20/08/19 को पत्र हो।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 खानपुर

09/07/19

पत्रावली आज पेश हुई। वादनी ने जरिमे अधिकार उपास्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि वह अपने वाद को झगती नही चलाना चाहती है तथा इसे विडो कजा चाहती है।

उक्त: प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विडो के ऊँकार पर रजिज किया जगता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर तम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील का पिल दफ्तरा हो।

गीता